

प्रेषक,

उमा शीकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम,  
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झांसी में लक्ष्मी ताल परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ के पत्र सं०-जी-154/022-0301/2016, दिनांक 22.09.2016 तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-16011/3/2003-एनआरसीडी-11, दिनांक 28.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद झांसी में लक्ष्मी ताल की प्रदूषण नियंत्रण परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित लागत ₹0 54.13 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ भारत सरकार द्वारा प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹0 250.00 लाख (केन्द्रांश) तथा राज्यांश के रूप में ₹0 107.14 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-127/2015-745/नौ-5-15-342बजट/2014, दिनांक 05.06.2015 द्वारा अवमुक्त की गई। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण की परिवर्तित (केन्द्रांश 50 प्रतिशत एवं राज्यांश 50 प्रतिशत) व्यवस्थानुसार राज्यांश के रूप में पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹0 107.14 लाख के अतिरिक्त धनराशि ₹0 142.86 लाख (₹0 <sup>278</sup> करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ तथा विशेष कार्याधिकारी/सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी ।
- (2) इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/ पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते /पीएलए में नहीं रखा जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है ।
- (4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसका लिये स्वीकृत की जा रही है । स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिशा -निर्देशों के अनुसार यथासमय शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है ।
- 2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों /उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।



-----2/

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- 02 -मल जल तथा सफाई-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0107-झील संरक्षण कार्यक्रम (राज्यांश) (के.70/रा.30)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-24/दस-2017, दिनांक 03जनवरी,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भगदीय  


(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 03/2017-3167/नौ-5-16-342बजट/2014टीसी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/झांसी ।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो
- 7- मुख्य अभियंता (झांसी क्षेत्र), 30प्र0 जल निगम, झांसी।
- 8- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 9- नियोजन अनुभाग- 3/4
- 10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  


(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017  
आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 03  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-03-2017-3167-9-5-16-342B-2014  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
800 - अन्य व्यय  
01 - केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं  
07 - झील संरक्षण कार्यक्रम (राज्यांश) (के.70/रा.30-के.+रा.)  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृत्त निर्माण कार्य	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	14286000 200000000	14286000 200000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	14286000 200000000	14286000 200000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़

  
(उमा शिकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी